



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2002/अग्रहायण 27, 1924

No. 73]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2002/AGRAHAYANA 27, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 18th December, 2002/Agrahayana 27, 1924 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 17th December, 2002, and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (SECOND AMENDMENT) ACT, 2002

No. 61 of 2002

[17th December, 2002.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962 and the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.

Short title.

2. (1) The Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 is hereby amended in the manner and to the extent specified in Schedule I.

Amendment of Scheduled Castes Orders.

(2) The Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951 is hereby amended in the manner and to the extent specified in Schedule II.

(3) The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 is hereby amended in the manner and to the extent specified in Schedule III.

(4) The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962 is hereby amended in the manner and to the extent specified in Schedule IV.

(5) The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 is hereby amended in the manner and to the extent specified in Schedule V.

SCHEDULE I

[See section 2(1)]

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER, 1950

1. In PART I.—*Andhra Pradesh*,—

(i) for entry 9, substitute—

“9. Beda (Budga) Jangam (in the districts of Hyderabad, Ranga Reddy, Mahbubnagar, Adilabad, Nizamabad, Medak, Karimnagar, Warangal, Khammam and Nalgonda)”;

(ii) for entry 11, substitute—

“11. Byagara, Byagari”;

(iii) for entry 14, substitute—

“14. Chamar, Mochi, Muchi, Chamar-Ravidas, Chamar-Rohidas”;

(iv) for entry 23, substitute—

“23. Godagali, Godagula (in the districts of Srikakulam, Vizianagaram and Vishakhapatnam)”;

(v) for entry 30, substitute—

“30. Kolupulavandlu, Pambada, Pambanda, Pambala”;

(vi) for entry 35, substitute—

“35. Mala, Mala Ayawaru”;

(vii) omit entry 52;

(viii) after entry 59, insert—

“60. Yatala

61. Valluvan.”

2. In PART III.—*Bihar*,—

(i) for entry 6, substitute—

“6. Chamar, Mochi, Chamar-Rabidas, Chamar-Ravidas, Chamar-Rohidas, Charmarkar”;

(ii) for entry 9, substitute—

“9. Dhobi, Rajak”;

(iii) for entry 10, substitute—

“10. Dom, Dhangad, Bansphor, Dharikar, Dharkar, Domra”;

(iv) for entry 20, substitute—

“20. Pan, Sawasi, Panr”.

3. In PART IV.—*Gujarat*,—

(i) for entry 4, substitute—

“4. Bhambi, Bhambhi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chamar-Ravidas, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Mochi (in Dangs district and Umergaon Taluka of Valsad district only), Nalia, Telugu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohidas, Rohit, Samgar”;

(ii) for entry 5, substitute—

“5. Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Korar, Zadmalli, Barwashia, Barwasia, Jamphoda, Zampada, Zampda, Rushi, Valmiki”.

4. In PART V.—*Haryana*,—

(i) for entry 9, substitute—

“9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Balahi, Batoi, Bhatoi, Bhambi, Chamar-Rohidas, Jatav, Jatava, Mochi, Ramdasia”;

(ii) for entry 23, substitute—

“23. Mazhabi, Mazhabi Sikh”;

(iii) for entry 25, substitute—

“25. Nat, Badi”;

(iv) for entry 34, substitute—

“34. Sapela, Sapera”;

(v) for entry 36, substitute—

“36. Sikligar, Bariya”.

5. In PART VI.—*Himachal Pradesh*, after entry 56, insert—

“57. Barwala.”.

6. In PART VII.—*Karnataka*,—

(i) for entry 17, substitute—

“17. Banjara, Lambani, Lambada, Lambadi, Lamani, Sugali, Sukali”;

(ii) for entry 23, substitute—

“23. Bhovi, Od, Odde, Vaddar, Waddar, Voddar, Woddar”;

(iii) for entries 53 and 54, substitute—

“53. Koracha, Korachar

54. Korama, Korava, Koravar”.

7. In PART VIII.—*Kerala*,—

(i) omit entries 9 and 11;

(ii) for entry 12, substitute—

“12. Bharathar (other than Parathar), Paravan”;

(iii) omit entries 13, 19, 20 and 21;

(iv) for entry 26, substitute—

“26. Kakkalan, Kakkan”;

(v) for entry 28, substitute—

“28. Kanakkan, Padanna, Padannan”;

(vi) for entry 30, substitute—

“30. Kavara (other than Telugu speaking or Tamil speaking Baliya, Kavarai, Gavara, Gavarai, Gavarai Naidu, Baliya Naidu, Gajalu Baliya or Valai Chetty)”;

(vii) for entry 34, substitute—

“34. Kuravan, Sidhanar, Kuravar, Kurava, Sidhana”;

(viii) for entry 37, substitute—

“37. Mannan, Pathiyan, Perumannan, Vannan, Velan”;

(ix) for entry 39, substitute—

“39. Moger (other than Mogeyar)”;

(x) omit entries 44 and 49;

(xi) for entry 50, substitute—

“50. Paraiyan, Parayan, Sambavar, Sambavan, Sambava, Paraya, Paraiya, Parayar”;

(xii) omit entries 51 to 53;

(xiii) for entry 54, substitute—

“54. Pulayan, Cheramar, Pulaya, Pulayar, Cherama, Cheraman, Wayanad, Pulayan, Wayanadan Pulayan, Matha, Matha Pulayan”;

(xiv) omit entry 55;

(xv) for entry 60, substitute—

“60. Semman, Chemman, Chemmar”;

(xvi) omit entries 65 and 66;

(xvii) for entry 68, substitute—

“68. Vettuvan, Pulaya Vettuvan (in the areas of erstwhile Cochin State only)

69. Nerian.”.

8. In PART IX.—*Madhya Pradesh*,—

(i) for entry 36, substitute—

“36. Mahar, Mehra, Mehar, Mahara”;

(ii) after entry 47, insert—

“48. Sargara.”.

9. In PART XIII.—*Orissa*,—

(i) for entry 2, substitute—

“2. Amant, Amat, Dandachhatra Majhi”;

(ii) for entry 10, substitute—

“10. Bauri, Buna Bauri, Dasia Bauri”;

(iii) for entry 24, substitute—

“24. Dewar, Dhibara, Keuta, Kaibarta”;

(iv) for entry 42, substitute—

“42. Kandra, Kandara, Kadama”;

(v) for entry 45, substitute—

“45. Kela, Sapua Kela, Nalua Kela, Sabakhia Kela, Matia Kela”;

(vi) for entry 56, substitute—

“56. Mala, Jhala, Malo, Zala, Malha, Jhola”;

(vii) for entry 69, substitute—

“69. Pan, Pano, Buna Pana, Desua Pana”;

(viii) for entry 86, substitute—

“86. Siyal, Khajuria”.

10. In PART XIV.—*Punjab*,—

(i) for entry 5, substitute—

“5. Batwal, Barwala”;

(ii) for entry 23, substitute—

“23. Mazhabi, Mazhabi Sikh”.

11. In PART XVII.—*Tripura*, after entry 32, insert—

“33. Dhuli, Sabdakar, Badyakar

34. Natta, Nat.”.

12. In PART XXI.—*Arunachal Pradesh*, omit entries 1 to 16.

SCHEDULE II

[See section 2(2)]

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) (UNION TERRITORIES) ORDER, 1951

1. In PART I.—*Delhi*, for entry 29, substitute—

“29. Nat (Rana), Badi”.

2. In PART II.—*Chandigarh*, for entry 4, substitute—

“4. Batwal, Barwala”.

3. In PART III.—*Daman and Diu*, for entry 2, substitute—

“2. Chambhar, Mochi”.

SCHEDULE III

[See section 2(3)]

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED CASTES ORDER, 1956

(i) for entry 4, substitute—

“4. Chamar or Ramdasia, Chamar-Ravidas, Chamar-Rohidas”;

(ii) for entry 5, substitute—

“5. Chura, Bhangi, Balmiki, Mehtar”;

(iii) for entry 7, substitute—

“7. Doom or Mahasha, Dumna”.

SCHEDULE IV

[See section 2(4)]

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION (DADRA AND NAGAR HAVELI) SCHEDULED CASTES
ORDER, 1962

For entry 4, substitute—

“4. Mahayavanshi.”

SCHEDULE V

[See section 2(5)]

AMENDMENT TO THE CONSTITUTION (PONDICHERY) SCHEDULED CASTES ORDER, 1964

After entry 15, insert—

“16. Puthirai Vannan.”

SUBHASH C. JAIN,
Secy. to the Govt. of India.

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 61)

[17 दिसंबर, 2002]

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1964 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 है । संक्षिप्त नाम ।

2. (1) संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 की अनुसूची का, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट रीति से और सीमा तक संशोधन किया जाता है । अनुसूचित जातियाँ आदेशों का संशोधन ।

(2) संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूची का, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट रीति से और सीमा तक संशोधन किया जाता है ।

(3) संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1956 का, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रीति से और सीमा तक संशोधन किया जाता है ।

(4) संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1962 का, अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट रीति से और सीमा तक संशोधन किया जाता है ।

(5) संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1964 का, अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट रीति से और सीमा तक संशोधन किया जाता है ।

अनुसूची 1

[धारा 2(1) देखिए]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन

1. भाग 1--आन्ध्र प्रदेश में,--

(i) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“9. बेड (बुडग) जंगम (हेदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, कशीमनगर, वारंगल, खम्माम् और नालगोंडा जिलों में)”;

(ii) प्रविष्टि 11 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें--

“11. बैगारा, बैगारी”;

(iii) प्रविष्टि 14 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“14. चमार, मोची, मुचि, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास”;

(iv) प्रविष्टि 23 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“23. गोंडागल्ली, गोडागुला (श्रीकाकुलम्, विजयनगरम् और विशाखापटनम जिलों में)”;

(v) प्रविष्टि 30 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“30. कोलुपुलवाण्डलु, पम्बाडा, पम्बांडा, पम्बाला”;

(vi) प्रविष्टि 35 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“35. माला, माला अयावारु”;

(vii) प्रविष्टि 52 का लोप करें;

(viii) प्रविष्टि 59 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें --

“60. याताला

61. वल्लुवन ।”।

2. भाग 3 -- बिहार में,--

(i) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“6. चमार, मोची, चमार-रबिदास, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास, चर्मरकार”;

(ii) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“9. धोबी, रजक”;

(iii) प्रविष्टि 10 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“10. डोम, धनगड, बांसफोड़, धारीकर, धरकार, डोमरा”;

(iv) प्रविष्टि 20 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“20. पान, स्वासी, पातर”।

3. भाग 4--गुजरात में,--

(i) प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“4. भाम्बी, भाम्मी, असादरू, असोदी, चमाडिया, चमार, चमार-रविदास, चांभार, चमगार, हरलया, हरली, खालपा, मचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची (केवल डांगस जिला और वलसाद जिले के उमरगांव तालुक में), नालिया, तेलुगु मोची, कमाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार”;

(ii) प्रविष्टि 5 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“5. भंगी, महतर, ओल्गना, रूखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमल्ली, बारवाशिया, बारवासिया, जाम्फोड़ा, जम्पाड़ा, जम्पडा, रूशी, वाल्मीकि”।

4. भाग 5--हरियाणा में,--

(i) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोही, भटोही, भांबी, चमार-रोहिदास, जाटव, जटवा, मोची, रामदसिया”;

(ii) प्रविष्टि 23 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें--

“23. मजहबी, मजहबी सिख”;

(iii) प्रविष्टि 25 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें--

“25. नट, बादी”;

(iv) प्रविष्टि 34 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें--

“34. सपेला, सपेरा”;

(v) प्रविष्टि 36 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“36. सिकलीगर, बारिया”।

5. भाग 6--हिमाचल प्रदेश में, प्रविष्टि 56 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें --

“57. बारवाला”।

6. भाग 7--कर्नाटक में,--

(i) प्रविष्टि 17 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“17. बंजारा, लंबाणी, लम्बाडा, लम्बाडी, लमानी, सुगली, सुकली”;

(ii) प्रविष्टि 23 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“23. भोवी, ओड, ओड्डे, वड्डार, वड्डर, वोड्डार, वोड्डर”;

(iii) प्रविष्टि 53 और 54 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“53. कोरचा, कोरचर;

54. कोरमा, कोरवा, कोरवार”।

7. भाग 8 -- केरल में--

(i) प्रविष्टि 9 और 11 का लोप करें;

(ii) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें--

“12. भरथर (परथर से भिन्न), परवन”;

(iii) प्रविष्टि 13, प्रविष्टि 19, प्रविष्टि 20 और प्रविष्टि 21 का लोप करें;

(iv) प्रविष्टि 26 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“26. कक्कलन, कक्कन”;

(v) प्रविष्टि 28 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“28. कणक्कन, पदन्न, पदन्नन”;

(vi) प्रविष्टि 30 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“30. कवर, (तेलुगु या तमिल भाषी बलिजा, कवरई, गावर, गावरई, गवरई नायडू बलिजा नायडू, गजालू, बलिजा या वलई चेट्टी से भिन्न)”;

(vii) प्रविष्टि 34 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“34. कुरवन, सिद्धनार, कुरवार, कुरवा, सिधना”;

(viii) प्रविष्टि 37 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“37. मण्णन, पथियन, पेरुमण्णन, वण्णन, वेलन”;

(ix) प्रविष्टि 39 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“39. मोगेर, (मोगेयार से भिन्न)”;

(x) प्रविष्टि 44 और 49 का लोप करें ;

(xi) प्रविष्टि 50 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“50. परैयन, परयन, साम्बवर, साम्बवन, साम्बवा, परया, परैया, परयार”;

(xii) प्रविष्टि 51 से प्रविष्टि 53 का लोप करें ;

(xiii) प्रविष्टि 54 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“54. पुलयन, चेरमर, पुलया, पुलयार, चेरमा, चेरमान, वयनाद पुलयान, वयनंदन, पुलयान, माथा, माथा पुलयान”;

(xiv) प्रविष्टि 55 का लोप करें --

(xv) प्रविष्टि 60 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“60. सेम्मन, चेम्मन, चेम्मर”;

(xvi) प्रविष्टि 65 और 66 का लोप करें ;

(xxvii) प्रविष्टि 68 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें--

“68. वेट्टुवन, पुलया वेट्टुवन (केवल पूर्व कोचीन राज्य के क्षेत्रों में) ;

69. नेरियन ।”।

8. भाग 9-- मध्य प्रदेश में --

(i) प्रविष्टि 36 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“36. महार, मेहरा, मेहर, महरा”;

(ii) प्रविष्टि 47 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें --

“48. सरगारा ।”।

9. भाग 13 --उड़ीसा में, --

(i) प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“2. अमांत, अमात, दंडछत्र माझी”;

(ii) प्रविष्टि 10 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“10. बाउरी, बुना बाउरी, डसिया बाउरी”;

(iii) प्रविष्टि 24 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“24. देवर, दीबरा, केउटा, कैबरता”;

(iv) प्रविष्टि 42 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“42. कंडरा, कंडारा, कदम”;

(v) प्रविष्टि 45 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“45. केला, सपुआ केला, नलुआ केला, सबखिया केला, मटिया केला”;

(vi) प्रविष्टि 56 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“56. माला, झाला, मालो, जाला, मल्हा, झोला”;

(vii) प्रविष्टि 69 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“69. पाण, पाणों, बुना पाण, देसुआ पाण”;

(viii) प्रविष्टि 86 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“86. सियाल, खजुरिया”।

10. भाग 14-- पंजाब में--

(i) प्रविष्टि 5 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“5. बटवाल, बरवाला”;

(ii) प्रविष्टि 23 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“23. मजहबी, मजहबी सिख”।

11. भाग 17-- त्रिपुरा में प्रविष्टि 32 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें --

“33. धुली, सब्दकार, बाद्यकार ।

34. नट्टा, नट ।”।

12. भाग 21--अरुणाचल प्रदेश में--प्रविष्टि 1 से प्रविष्टि 16 तक का लोप करें ।

अनुसूची 2

[धारा 2(2) देखिए]

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 का संशोधन

1. भाग 1--दिल्ली में, प्रविष्टि 29 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“29. नट (राणा), बाडी” ।

2. भाग 2 --चंडीगढ़ में, प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“4. बटवाल, बरवाला”।

3. भाग 3--दमण और दीव में, प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“2. चंभार, मोची”।

अनुसूची 3

[धारा 2(3) देखिए]

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का संशोधन

(i) प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“4. चमार या रामदसिया, चमार-रविदास, चमार-रोहिदास”;

(ii) प्रविष्टि 5 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“5. चूंड़ा, भंगी, बाल्मीकि, मेहतर”;

(iii) प्रविष्टि 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“7. डूम या महशा, डुमना”।

अनुसूची 4

[धारा 2(4) देखिए]

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 का संशोधन

प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें--

“4. माहयावंशी ।”।